न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या –27 /2020 (Bank Case)

दीवान हाउसिंग फाईनेंस कॉर्पोरेशन लि० (DHFL) एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय– वार्डन हाउस, द्वितीय तल, सर पी.एम. रोड, फार्ट मुम्बई–400001 तथा शाखा कार्यालय–302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम.आई. रोड, जयपुर (राज०) जर्ये प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश कुमार यादव ।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. शिव ट्रेडर्स (ऋणी)

   पता– एफ 65(ए), रोड नम्बर 2, आई.पी.आई.ए. कोटा–324005 राजस्थान

   एवं

   सम्पत्ति पता– प्लाट नं0 एफ 65(ए), इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया, हुण्डई शॉरूम के पास, कोटा–324005 राजस्थान

   एवं

   कार्यालय पता– एफ 65(ए), रोड नम्बर 2, आई.पी.आई.ए. कोटा–324005 राजस्थान
2. मीना अडवानी (सहऋणी)

   पता– 8, अशोका कॉलोनी, वार्ड नं0 55, तहसील लाडपुरा, कोटा–324005 राजस्थान
3. अर्जुन दास अडवानी

   पता– 8, अशोका कॉलोनी, वार्ड नं0 55, तहसील लाडपुरा, कोटा–324005 राजस्थान
4. लाल चन्द राठौड

   पता– सी–30, सुभाष नगर, एम.बी.एस. रोड, इन्द्रपुरा, कोटा–324005 राजस्थान
5. गिर्राज राठौड

   पता– सी–30, सुभाष नगर, एम.बी.एस. रोड, इन्द्रपुरा, कोटा–324005 राजस्थान
6. मूर्ति राठौड

   पता– सी–30, सुभाष नगर, एम.बी.एस. रोड, इन्द्रपुरा, कोटा–324005 राजस्थान
7. निलेश राठौड

   पता– सी–30, सुभाष नगर, एम.बी.एस. रोड, इन्द्रपुरा, कोटा–324005 राजस्थान
8. श्याम ट्रेडर्स

   पता– जी आई–5, रणपुर एग्रोफूड पार्क इण्डस्ट्रीयल, कोटा–324009 राजस्थान

– अप्रार्थीगण/ऋणी

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित

श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 19.02.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दीवान हाउसिंग फाईनेंस कॉर्पोरेशन लि0 (DHFL) एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय– वार्डन हाउस, द्वितीय तल, सर पी.एम. रोड, फार्ट मुम्बई–400001 तथा शाखा कार्यालय–302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम.आई. रोड, जयपुर (राज0) मे स्थित हैं, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 31.07.2015 को रूपये 2,01,37,742/–(अक्षरेः रूपये दो करोड एक लाख सैतीस हजार सात सौ बीयालीस मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति प्लाट नं0 एफ 65(ए), इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया, हुण्डई शॉरूम के पास, कोटा, राजस्थान में स्थित हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 808.25 वर्ग मीटर हैं। जो कि कार्यालय उप पंजीयक कोटा की रसीद नं0 7593 दिनांक 08.08.2003 द्वारा मैसर्स शिव ट्रेडर्स के स्वामित्व की हैं,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 01.06.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खातों मे 1,67,78,902/– (अक्षरे रूपये एक करोड सडसठ लाख अठहत्तर हजार नौ सौ दो मात्र) बकाया रकम दिनांक 21.08.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 28.08.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 28.08.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

Scanned by CamScanner

28.08.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति प्लाट नं0 एफ 65(ए), इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया, हुण्डई शॉरूम के पास, कोटा, राजस्थान में स्थित हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 808.25 वर्ग मीटर हैं। जो कि कार्यालय उप पंजीयक कोटा की रसीद नं0 7593 दिनांक 08.08. 2003 द्वारा मैसर्स शिव ट्रेडर्स के स्वामित्व की हैं,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 19.02.2020 को सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner